

फ्लेक्सी फेअर योजना (-flexi fare scheme) का पुनर्गठन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रेलवे ने समीक्षा समितिकी सफ़ारिशों, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट और यात्रियों के प्रतविदन के आधार पर फ्लेक्सी फेअर योजना की समीक्षा करने का नरिणय लिया ।

प्रमुख बदि

- भारतीय रेलवे ने 9 सतिंबर, 2016 से फ्लेक्सी फेअर योजना की शुरुआत की थी । इस योजना ने उच्च राजस्व एकत्र किया, हालाँकि आरंभ में यात्रियों की संख्या में गरिवट आई लेकिन बाद में इसमें तेज़ी देखी गई ।
- रेलवे द्वारा करिये को तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया ताकि फ्लेक्सी फेअर योजना की समीक्षा की जा सके तथा इसे यात्रियों के और अनुकूल बनाया जा सके ।
- पछिले वर्ष जनि 15 ट्रेनों में यात्रियों की औसत मासकि संख्या 50 प्रतशित से कम थी उनमें फ्लेक्सी फेअर को समाप्त कर दिया गया है ।
- पछिले वर्ष कम भीड़भाड़ वाले तीन महीनों में जनि 32 ट्रेनों में यात्रियों की औसत मासकि संख्या 50-75 प्रतशित रही उनमें भी फ्लेक्सी फेअर को समाप्त कर दिया गया है ।
- सभी श्रेणियों में अधिकतम करिये की वर्तमान सीमा को मूल करिये के 1.5 गुना से कम कर 1.4 गुना कर दिया गया है ।
- उन ट्रेनों, जनिमें 2एसी, 3एसी, सीसी आदि श्रेणी वाले यात्रियों की संख्या कम है और हमसफर ट्रेनें, जनिमें एक विशेष श्रेणी में यात्रियों की संख्या 60 प्रतशित से कम है (ट्रेन के नरिधारति समय पर रवाना होने से 4 दनि पहले), फ्लेक्सी फेअर के साथ सभी ट्रेनों में अंतमि करिये पर 20 प्रतशित की करमकि छूट दी जाएगी ।
- रेलवे ने अतरिकित राजस्व उत्पन्न करने के लिये अपनी माल ढुलाई दर को भी तर्कसंगत बनाया है । इसके परणामस्वरूप कोयला, लौह और इस्पात, लौह अयस्क, तथा इस्पात संयंत्रों के लिये कच्चे माल जैसे प्रमुख वस्तुओं हेतु माल ढुलाई में 8.75% की वृद्धि होगी ।
- कंटेनरों के ढुलाई शुल्क में 5% की वृद्धि हुई है और अन्य छोटे सामानों की माल ढुलाई 8.75% बढ़ी है । इस कदम से रेलवे को ₹ 3,344 करोड़ का अतरिकित राजस्व प्राप्त होगा ।

फ्लेक्सी फेअर योजना क्या है?

- फ्लेक्सी करिया, रेलवे द्वारा सतिंबर 2016 में राजधानी, शताबदी और दूरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेनों के लिये पेश की गई एक बढ़ती कीमत प्रणाली है ।
- इसमें शुरुआत में पहली 10 प्रतशित सीटों के लिये सामान्य करिया लागू होता है, इसके बाद प्रत्येक 10 प्रतशित बर्थ की बुककि के बाद करियों में 10 प्रतशित की बढ़ोतरी कर दी जाती है । मांग के आधार पर इसमें अधिकतम 50 फीसदी तक करिया बढ़ता है ।
- सेकंड एसी और चेयरकार के लिये अधिकतम 50 फीसदी की बढ़ोतरी होती है । वही, थर्ड एसी के लिये यह सीमा मूल करिये का 40 फीसदी अधिक होती है ।